

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक: एफ.28()परावि/प्रशा.2/सहा..पंप्रअ.प्रप्रअ/स्था.पद/2019/

3393

जयपुर, दिनांक: 13/09/19

:: आदेश ::

निम्नलिखित सहायक सचिव/पंचायत प्रसार अधिकारी के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक सर्व श्री	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को	विशेष विवरण
1.	राजेन्द्र सिंह	पंचायत प्रसार अधिकारी	जिला परिषद चुरू	पं.स. अलसीसर, (झुन्झुनू)	
2.	नरेन्द्र सिंह	सहायक सचिव	नव पदोन्नत पंचायत प्रसार अधिकारी, पं.स. अलसीसर जिला झुन्झुनू से)	पं.स. अलसीसर (झुन्झुनू)	सहायक सचिव के पद पर

उक्त कार्मिक तत्काल कार्यमुक्त होकर अपनी उपस्थिति नव पदस्थापित स्थान पर प्रस्तुत करेंगे। अन्यथा इसे राज्यादेशो की अवहेलना मानी जाकर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। जिन कार्मिको का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किया गया है उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

उप सचिव एवं उपायुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर संबंधित।
5. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति संबंधित।
7. संबंधित सहायक सचिव/पंचायत प्रसार अधिकारी को पालनार्थ।
8. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
9. आदेश पत्रावली।

उप सचिव एवं उपायुक्त